न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

सूचना अधिकार अपील/138/2022

अपीलांट सज्जनसिंह पुत्र हुकमसिंह
निवासी लीलरिया धोरा वार्ड संख्या 2 पुराना वार्ड संख्या 1 बाड़मेर जिला बाडमेर

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

आदेश

दिनांक : 26.12.2022

अपीलार्थी सज्जनसिंह पुत्र हुकमसिंह निवासी लीलरिया धोरा वार्ड संख्या 2 पुराना वार्ड संख्या 1 बाड़मेर जिला बाडमेर ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 05.12.2022 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना–पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक/ऑनलाईन प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र की प्रति दिनांक 26.10.2022 संलग्न किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोडेंट द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना हेतु नियत शुल्क जमा करवाने हेतु अपीलांट को कार्यालय के पत्र क्रमांक 4538 दिनांक 28.11.2022 द्वारा लिखा जा चुका है जो आदिनांक अप्राप्त है। लिहाजा प्रस्तुत अपील दाखिल दफ्तर फरमाई जावे।

हमने प्रस्तुत अपील, रेस्पोडेंट के जवाब एवं रेस्पोडेंट द्वारा जारी पत्राचार का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता है कि रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट को नियत शुल्क जमा करवाने हेतु लिखा जा चुका है जो आदिनांक जमा नहीं किया गया है। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट को वांछित सूचना उपलब्ध कराया जाना उचित प्रतीत होता है। लिहाजा प्रस्तुत अपील के तथ्यों के अवलोकन एवं विवेचन उपरान्त अपीलार्थी की यह अपील आंशिक स्वीकार योग्य है।

अतः अपीलार्थी की यह अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित स[illegible] शुल्क अदायगी पर उपलब्ध करवाई जाकर प्रार्थना–पत्र का निस्तारण शीघ्र कि[illegible]दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लो[illegible]नार्थ प्रेषित हों।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:41:18 IST
Reason: SelfAttested

प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर